

08.04.2025


अधिवक्ता अपीलों द्वारा जर्बत-जब तत्परि
 द्वारा 151 CPC में पारित आदेश की रालना
 में पत्रावली पेशी में ली गई अधिवक्ता
 अपीलों अप. अधिवक्ता अपीलों के निर्देश
 किया कि उपरोक्त अनुदान के प्रकरण में
 माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर
 द्वारा एस. बी. सिविल रिट याचिका क्रमांक
 5784/2025 में पारित निर्णय दिनांक 12-3-25
 को पारित किया है उक्त निर्णय अनुदान
 श्रीमान न्यायालय राज. अपील अधिकारी,
 द्वारा उक्त प्रकरण में पारित अपील दर्ज
 के आदेश उपरि श्रीमान राज. उच्च न्यायालय,
 जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.25
 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ
 न्यायालय श्रीमान सहायक कलक्टर,
 बाड़मेर को चार सप्ताह में होने पर प्रकरण
 को पुनर्बाई का प्रवृत्त है इस कानूनी प्रावधानों

(नवमीत कुमार)
 राज्य अपील प्राधिकारी
 बाड़मेर

P.T.O.

की पालना करते हुए ~~कानून~~ विवेकाशा
के आवेदन को तबटि रूप में निर्यात करने
के निर्देश दिए हैं। अतः अपील अदालत निर्देश
में निर्यात कर मधीनस्थ न्यायालय
का त्रितीय लीयाया रहे।

अधिकृत अपील को युक्त जमा। तबटि
पट प्रान किप। प्राननीय न्याय न्यायालय
के निर्देशन में अपील के निर्देशन को
हरीकार किप। पाकर अपील खापि
की जारी है। मधीनस्थ न्यायालय को
त्रितीय नुंरत प्रभाव ले जाया
रहे। पत्रावली फेसल शुभार नकल
ले कर होनर बाद तारीख तबटि
हाखिल दफतर हो अहिश नुंरया
गया।


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर

(Date Stamp)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाइमेर